न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 384/18

प्रार्थी :–

1. पोकरराम पुत्र लुम्बाराम
2. ईशाराम पुत्र लुम्बाराम जातियान कुम्हार निवासीयान चिलानाडी पाटोदी तहसील पचपदरा जिला –बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :–

1. देवाराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी चिलानाडी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण 1 श्री रूघाराम कडवासरा प्रार्थीगण वकील

2 बाबूलाल सांखला विप्रार्थी वकील

आदेश दिनांक :–8.09.2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है,कि सरहद मौजा चिलानाडी के मूल खसरा न0 2650 की भूमि मे स्थित है। जिसमें भाई से बंटवाडा होने से भूमि को चार टूकोडो में विभाजन किया गया जिसमें परिशिष्ट 'अ' में बरंग हरा प्रार्थीगण की कब्जासुदा भूमि खेत खसरा न0 3697/2650 है व विप्रार्थी संख्या 01 का खसरा न0 3698/2650 है उक्त भूमि को मुख्य सडक से जोडने हेतु रास्ते की आवश्यकता है, उक्त रास्ता विप्रार्थी संख्या 01 की भूमि से जुडता हुआ मुख्य रास्ते के बीच की दुरी केवल मात्र 75 फीट हैं जिससे उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपने मुख्य रास्ते में जुडने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये बरंग लाल हिस्सा ए.बी.सी.डी. पर कृषि साधनों के आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित करवाना चाहता है । उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने से उक्त 15 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को दिनांक 29.05.2018 नोटिसेज जारी किये गये, जो बाद तामिल के पेश हुए। दिनांक 20.12.2019 को तहसीलदार पचपदरा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना रिपोर्ट में दिनांक 3.10.2019 को प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा नें मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौजा चिलानाडी के खेत खसरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

न0 3697/2650 प्रार्थी पोकरराम पुत्र लुम्बाराम, ईशाराराम पुत्र लुम्बाराम के नाम खातेदारी भूमि है। खसरा न0 3698/2650 विप्रार्थी देवाराम पुत्र पेमाराम के खातेदारी भूमि है । खसरा न0 3698/ 2650 के पश्चिम में खसरा न0 2664 गैर मु रास्ता की भूमी आयी हुई है। वर्तमान में मौके पर खसरा न0 3697/2650 में आवागमन हेतु कोई सार्वजनिक रास्ता नही है। न ही उक्त ख0न0 के नजदीक ख.न. 2664 गै.मु. रास्ता के अलावा अन्य रास्ता, सार्वजनिक भूमि आई हुई नहीं है। प्रार्थी द्वारा आवागमन हेतु रास्ते की चौडाई 15 फीट की मांग के अनुसार रास्ता में अवाप्त होने वाली भूमि 25 X 22 गट्ठा = 55 वर्ग गट्ठा है । जिसका क्षेत्रफल 0.03 बीघा होता है। जिसका वर्तमान बाजार मूल्य डीएलसी रेट 18900/– प्रति बीघा के अनुसार 2835 रूपये होती है। जो दुगनी दर से 5670/– रूपये बनती है। परिशिष्ट 'अ' वर्तमान नक्शे अनुसार 'ए' से 'बी' प्रस्तावित भूमि रहेगी।

दोनो पक्षकारन वकील की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया ।

न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा चिलानाडी 3697/2650 है व विप्रार्थी संख्या 01 का खसरा न0 3698/2650 का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड अनुसार जाचं करवाई गई जिसके अनुसार ग्राम मौजा चिलानाडी 3697/2650 है व विप्रार्थी संख्या 01 का खसरा न0 3698/2650. है । चूंकी प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा चिलानाडी 3697/2650 है व विप्रार्थी संख्या 01 का खसरा न0 3698/2650.में से प्रार्थीगण को आवागमन हेतु 15 फीट चौडा रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट अनुसार डीएलसी रेट 18900/– प्रति बीघा के अनुसार 2835 रूपये होती है। जो दुगनी दर से 5670/– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश आज दिनांक 08.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner